

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 3-04-2026

विषय सूची

क्षमादान शक्तियों के प्रयोग में राज्यपाल के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं

भारत में वर्ष 2025 में 65 इंटरनेट शटडाउन दर्ज

भारत के रक्षा निर्यात में वर्ष 2025-26 में 62.66% की वृद्धि

वर्तमान ऊर्जा संकट और 1973 के तेल संकट का तुलनात्मक विश्लेषण

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में अस्थायी राहत उपाय

संक्षिप्त समाचार

राजा रवि वर्मा

कर साथी

E20 पेट्रोल

भारत में पाइपड नेचुरल गैस (PNG) का विस्तार

भारत का बहु-आपदा प्रारंभिक चेतावनी निर्णय समर्थन प्रणाली (MHEW-DSS)

क्षमादान शक्तियों के प्रयोग में राज्यपाल के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं

संदर्भ

- मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा और समयपूर्व रिहाई संबंधी अधिकारों का प्रयोग करते समय राज्यपाल को मंत्रिपरिषद का परामर्श अनिवार्य होता है।

संविधान का अनुच्छेद 161 क्या है?

- अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम तथा प्रविलंबन के रूपांतरण का अधिकार प्रदान करता है।
 - यह उन अपराधों पर लागू होता है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं।
- अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 72 के समान है, जो राष्ट्रपति को इसी प्रकार के अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 163 यह स्थापित करता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता और परामर्श देगी।

प्रमुख न्यायिक हस्तक्षेप

- शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):** न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता एवं परामर्श पर कार्य करना चाहिए। वे संवैधानिक प्रमुख हैं, वास्तविक कार्यपालिका नहीं।
- मरु राम बनाम भारत संघ (1980):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दया अधिकार (अनुच्छेद 72 और 161) मंत्रिमंडल के परामर्श पर आधारित होने चाहिए, न कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत इच्छा पर।
- ए.जी. पेरारिवलन मामला (2022):** न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि राज्यपाल द्वारा मामलों (जैसे दया याचिकाओं) पर निर्णय में अत्यधिक विलंब न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत राज्यपाल की निष्क्रियता के कारण राहत प्रदान की।

निर्णय का महत्व

- यह निर्णय संसदीय शासन प्रणाली को सुदृढ़ करता है और यह सिद्धांत पुष्ट करता है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं।
- यह निर्णय राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधित करके मनमाने निर्णयों को रोकता है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमा अधिकारों की तुलना

- भारत के राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत अपराध का दोषी है, क्षमा, लघुकरण, विराम, परिहार, प्रविलंबन या दंडादेश का रूपांतरण प्रदान कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति मृत्यु-दंड को क्षमा कर सकते हैं। वे मृत्यु-दंड को क्षमा करने वाले एकमात्र प्राधिकारी हैं।
- राज्यपाल मृत्यु-दंड को क्षमा नहीं कर सकते। तथापि, वे मृत्यु-दंड को निलंबित, क्षमा या रूपांतरित कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) द्वारा दिए गए दंड के मामलों में भी क्षमा अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
- राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

क्षमा अधिकार का स्वरूप

- क्षमा(Pardon):** यह दंड और दोषसिद्धि दोनों को समाप्त कर देता है तथा दोषी को सभी दंड, दंडादेश और अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर देता है।
- लघुकरण(Commutation):** यह एक प्रकार के दंड को हल्के दंड में परिवर्तित करता है।
- परिहार(Remission):** यह दंड की अवधि को कम करता है, परंतु उसके स्वरूप को नहीं बदलता।
- विराम (Respite):** यह किसी विशेष परिस्थिति (जैसे दोषी की शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी की गर्भावस्था) के कारण मूल दंड के स्थान पर हल्का दंड प्रदान करता है।
- प्रविलंबन(Reprieve):** यह दंडादेश (विशेषकर मृत्यु-दंड) के क्रियान्वयन को अस्थायी अवधि के लिए रोकता है।

स्रोत: TH

भारत में वर्ष 2025 में 65 इंटरनेट शटडाउन दर्ज

संदर्भ

- एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वर्ष 2025 में 65 इंटरनेट शटडाउन लागू कीं, जो 2017 के बाद से देश में दर्ज की गई सबसे कम संख्या है।

- वैश्विक स्तर पर, एशिया-प्रशांत क्षेत्र ने इन व्यवधानों का अधिकांश हिस्सा दर्ज किया, जहाँ 11 देशों में कुल 195 शटडाउन लागू की गईं।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधित विधिक प्रावधान

- **आधार:** भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल “सार्वजनिक आपातकाल” या “सार्वजनिक सुरक्षा” के हित में ही इंटरनेट शटडाउन लागू कर सकते हैं, जैसा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में प्रावधान है।
- तथापि, कानून यह परिभाषित नहीं करता कि आपातकाल या सुरक्षा मुद्दा किसे कहा जाएगा।
- वर्ष 2017 तक, शटडाउन मुख्यतः दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के अंतर्गत लागू की जाती थी।
 - धारा 144 पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट को अवैध जमावड़े को रोकने तथा किसी व्यक्ति को किसी गतिविधि से विरत रहने का निर्देश देने का अधिकार देती है।
- 2017 में कानून में संशोधन कर सरकार ने **दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017** अधिसूचित किया।
 - इन नियमों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित की गईं।
 - आदेशों की वैधता सुनिश्चित करने हेतु इन्हें 5 दिनों के अंदर एक परामर्श बोर्ड द्वारा समीक्षा करना आवश्यक है।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला

- वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन पर निर्णय देते हुए कहा कि राज्य द्वारा अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुमेय नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 144 का प्रयोग वास्तविक विरोध को रोकने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान के अंतर्गत विरोध का अधिकार मान्य है।
 - धारा 144 के बहुत विशिष्ट मानदंड हैं, और केवल उन्हीं के संतुष्ट होने पर मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है।

आदेशों की प्रमुख विशेषताएँ:

- इंटरनेट का उपयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है।
- इंटरनेट शटडाउन अस्थायी अवधि के लिए हो सकती है, परंतु अनिश्चितकालीन नहीं।
- सरकार को धारा 144 के अंतर्गत लगाए गए सभी आदेश प्रकाशित करने होंगे।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।

सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** सरकार इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी और लक्षित उपाय के रूप में निलंबित करती है ताकि गलत सूचना के प्रसार, अवैध गतिविधियों के समन्वय या सुरक्षा खतरों को रोका जा सके।
- **अस्थायी और लक्षित उपाय:** ये उपाय दीर्घकालिक पहुँच को बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि विशिष्ट और तात्कालिक चिंताओं को संबोधित करने के लिए होते हैं।
- **अशांति और हिंसा की रोकथाम:** ऑनलाइन संचार को निलंबित करने से विरोध, दंगे या अन्य प्रकार की अशांति को संगठित होने से रोका जा सकता है।
- **फर्जी समाचार और भ्रामक सूचना का प्रतिकार:** संकट या संघर्ष के समय ऑनलाइन प्रसारित गलत सूचना तनाव को बढ़ा सकती है और भ्रम फैला सकती है।

सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन के विरुद्ध तर्क

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव:** इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
- **वैश्विक छवि और निवेश:** बार-बार की जाने वाली इंटरनेट शटडाउन भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित करती है और निवेशकों व अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों में चिंता उत्पन्न करती है।
- **मानवाधिकार चिंताएँ:** इंटरनेट शटडाउन सूचना तक पहुँच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार जैसे मानवाधिकारों पर प्रश्न उठाती है।

- **आर्थिक व्यवधान:** भारत की तीव्र गति से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था इंटरनेट शटडाउन से गंभीर आर्थिक हानि का सामना कर सकती है।
- **शैक्षिक चुनौतियाँ:** शिक्षा में ऑनलाइन प्लेटफार्मों के बढ़ते उपयोग के कारण इंटरनेट शटडाउन छात्रों की अध्ययन सामग्री तक पहुँच को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
- **रक्षा बजट:** रक्षा बजट में निरंतर वृद्धि हुई है, जो 2013-14 में ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹6.81 लाख करोड़ हो गया।
- भारत ने 2029 तक ₹3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे वह वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है।

निष्कर्ष

- इंटरनेट बंदी सार्वजनिक आपातकाल की असाधारण परिस्थितियों में उचित हो सकती है, परंतु इसका बार-बार और अपारदर्शी प्रयोग मौलिक अधिकारों, आर्थिक विकास एवं लोकतांत्रिक शासन के लिए चिंता उत्पन्न करता है।
- कानूनी सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता, तकनीकी विकल्पों और जवाबदेही का संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि इंटरनेट बंदी दुर्लभ, अनुपातिक एवं संवैधानिक रूप से वैध बनी रहे।

स्रोत: IE

भारत के रक्षा निर्यात में वर्ष 2025-26 में 62.66% की वृद्धि

संदर्भ

- वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के रक्षा निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर ₹38,424 करोड़ तक पहुँच गए, जो विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 62.66% की वृद्धि को दर्शाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) और निजी क्षेत्र का योगदान क्रमशः 54.84% और 45.16% रहा।
- DPSUs के निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में 151% की वृद्धि हुई, जबकि निजी कंपनियों ने 14% की वृद्धि दर्ज की।
- यह तीव्र वृद्धि भारतीय निर्मित रक्षा उत्पादों की वैश्विक स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में क्षेत्र के बढ़ते एकीकरण को रेखांकित करती है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 तक भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है।

रक्षा स्वदेशीकरण सुधारों की आवश्यकता

- **रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा:** संकट और भू-राजनीतिक तनाव के समय विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होती है।
- **क्षमता अंतर का समाधान:** भारत को सीमाओं और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेना, नौसेना और वायुसेना में पुराने प्लेटफार्मों को बदलने हेतु आधुनिकीकरण आवश्यक है।
- **आयात बिल में कमी और आर्थिक दक्षता:** भारत विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है। स्वदेशी उत्पादन दीर्घकाल में लागत घटाता है, विदेशी मुद्रा बहिर्गमन कम करता है और घरेलू रक्षा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है।
- **घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा:** स्वदेशीकरण DPSUs, MSMEs और निजी उद्योग में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करता है।
- **तीव्र खरीद और परिचालन तत्परता:** घरेलू विनिर्माण खरीद चक्र को छोटा करता है और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- **बेहतर अनुकूलन और लचीलापन:** स्वदेशी प्लेटफार्म भारतीय भू-भाग (हिमालयी ऊँचाई, रेगिस्तान, समुद्री क्षेत्र) के अनुरूप बनाए जा सकते हैं और निरंतर उन्नयन संभव होता है।
- **प्रौद्योगिकी संप्रभुता:** स्वदेशी तकनीकों का विकास डिजाइन, उत्पादन और भविष्य के उन्नयन में स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है तथा प्रतिबंधों, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों या तकनीकी निषेध से बचाता है।

रक्षा अधिग्रहण एवं स्वदेशीकरण सुधार

- **DAP 2020 और भारतीय-IDDM पर ध्यान:** 'Buy (भारतीय – स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित)' श्रेणी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि प्रमुख रक्षा खरीद भारतीय स्रोतों से हो।

- **सरलीकृत 'Make' प्रक्रिया:** भारतीय उद्योग को रक्षा उत्पादों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण हेतु प्रोत्साहित करती है।
 - *Make-I:* सरकार विकास लागत का 70% तक वहन करती है और कुछ परियोजनाएँ MSMEs के लिए आरक्षित हैं।
 - *Make-II:* उद्योग-वित्तपोषित श्रेणी है, जिसमें पात्रता शिथिल है, न्यूनतम कागजी कार्यवाही है और उद्योग या व्यक्तियों से प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं।
 - अब तक सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 62 परियोजनाओं को 'सिद्धांततः स्वीकृति' मिली है।
- **रक्षा क्षेत्र में उदार FDI:** नई औद्योगिक लाइसेंस हेतु स्वचालित मार्ग से 74% तक और उन्नत तकनीक वाले मामलों में सरकारी स्वीकृति से 100% तक निवेश की अनुमति।
- **रक्षा औद्योगिक गलियारे:** उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (UPDIC) और तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा (TNDIC) इस परिवर्तन की धुरी हैं। 2025 तक इनमें ₹9,145 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित हुआ है और 289 समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए हैं।
- **रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS):** एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आठ ग्रीनफील्ड परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाएँ स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सात परीक्षण सुविधाओं को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है।
- **नवाचार को बढ़ावा:** *iDEX* और *TDF* योजनाएँ स्टार्टअप, MSMEs, शिक्षाविदों और नवप्रवर्तकों को अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
 - *TDF योजना* विशेष रूप से स्टार्टअप और MSMEs को रक्षा तकनीकों के अनुसंधान एवं विकास हेतु ₹10 करोड़ तक की वित्तीय सहायता देती है।
- **रणनीतिक साझेदारी (SP) मॉडल:** 2017 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों और वैश्विक OEMs के बीच दीर्घकालिक साझेदारी बनाना है।

- **स्वदेशीकरण पोर्टल:** *SRIJAN पोर्टल* (2020) उन रक्षा वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करता है जो पहले आयात की जाती थीं, और उद्योग को उन्हें स्थानीय स्तर पर विकसित करने हेतु आमंत्रित करता है।
- **रक्षा क्षेत्र में व्यापार सुगमता:** औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले रक्षा उत्पादों का सरलीकरण किया गया है। अधिकांश पुर्जों/घटक हेतु अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है, साथ ही 3 वर्ष का विस्तार संभव है।

निष्कर्ष

- रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों, घरेलू भागीदारी में वृद्धि और स्वदेशी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के संयोजन ने देश की रक्षा क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।
- 2029 के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ, भारत अपनी वैश्विक उपस्थिति को विस्तारित करने की दिशा में अग्रसर है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगा।

स्रोत: TH

वर्तमान ऊर्जा संकट और 1973 के तेल संकट का तुलनात्मक विश्लेषण

संदर्भ

- पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर दिया है, विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से, जिससे इसकी तुलना 1973 के तेल संकट से की जा रही है।

1973 तेल संकट बनाम वर्तमान संकट

- 1973 में व्यवधान अरब देशों द्वारा समन्वित कार्रवाई के कारण हुआ था, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) और अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OAPEC) थे।
 - इसमें उत्पादन कटौती और पश्चिमी देशों के विरुद्ध लक्षित प्रतिबंध शामिल थे।

- इसके विपरीत, वर्तमान संकट समन्वित उत्पादन कटौती के बजाय भू-राजनीतिक संघर्ष से उत्पन्न हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग को प्रभावित कर रहा है।
- वर्तमान व्यवधान उत्पादकों द्वारा जानबूझकर आपूर्ति घटाने के बजाय शिपिंग प्रतिबंधों से उत्पन्न हुआ है।

1973 और वर्तमान संकट के बीच समानताएँ

- दोनों संकट पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संघर्षों से जुड़े हैं और आपूर्ति व्यवधानों ने वैश्विक तेल कीमतों में तीव्र वृद्धि की है।
- तेल निर्यातक देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाया है।

वैश्विक आर्थिक प्रभाव

- 1973 का संकट प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में स्थगन-मुद्रास्फीति (stagflation), उच्च मुद्रास्फीति, निम्न वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी का कारण बना।
 - इससे अमेरिका, यूरोप और जापान में गहरी मंदी आई।
 - इस संकट ने तेल आयातक देशों की बाहरी आघातों के प्रति संवेदनशीलता उजागर की।
- वर्तमान संकट ने विशेषकर तेल आयात पर अत्यधिक निर्भर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्थगन-मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ा दी है।
- बढ़ती तेल कीमतें वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति, उत्पादन लागत और खाद्य कीमतों को बढ़ा रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- IEA की स्थापना 1974 में पेरिस, फ्रांस में 1973-74 तेल संकट की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में हुई।
- **संस्थापक सदस्य:** ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
 - **सदस्यता:** केवल OECD देशों के लिए खुली रही। वर्तमान में 33 पूर्ण सदस्य हैं, जिनमें हाल ही में कोलंबिया को 33वाँ सदस्य बनाया गया।
- **सहयोगी सदस्य:** 2015 में IEA ने गैर-OECD देशों को सहयोगी सदस्य बनने की अनुमति दी।

- सहयोगी सदस्य नीतिगत चर्चाओं और गतिविधियों में भाग लेते हैं, परंतु निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते।
- भारत 2017 में सहयोगी सदस्य बना। वर्तमान में 13 सहयोगी सदस्य हैं।

भारत पर प्रभाव

- भारत को सीधे प्रतिबंधित नहीं किया गया था, परंतु आयात निर्भरता के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।
- तेल आयात बिल 1973 में \$414 मिलियन से बढ़कर 1974 में \$1,350 मिलियन हो गया।
- OPEC देशों ने भारत को वरीयता मूल्य निर्धारण देने से मना कर दिया, जिससे भुगतान संतुलन खराब हुआ और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा।
- इसने भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज के लिए प्रेरित किया, जैसे कोयला गैसीकरण और अपतटीय तेल अन्वेषण (उदा. बॉम्बे हाई)।

भारत का वर्तमान तेल आयात

- भारत अपनी लगभग 88% कच्चे तेल की आवश्यकता 41 देशों से आयात करता है।
- फरवरी में इन आपूर्तियों का लगभग आधा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरा।
- फरवरी 2026 में भारत ने 2.8 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) कच्चा तेल प्राप्त किया, जो कुल आयात का 53% था, मुख्यतः इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर से।
- 2026 की शुरुआत तक रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बना रहा, जबकि सऊदी अरब और इराक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहे।

कोयला गैसीकरण की ओर तकनीकी बदलाव

- कोयला गैसीकरण उच्च तापमान और उच्च दबाव प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कोयले को कृत्रिम गैस (syngas) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है।
 - इसमें सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड (H₂S) में परिवर्तित करना और रासायनिक व भौतिक उपचार द्वारा अशुद्धियों को हटाना शामिल है।

- प्राप्त स्वच्छ गैस घरेलू ईंधन, औद्योगिक अनुप्रयोगों और विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त हो सकती है।
- वैश्विक स्तर पर, 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका में “टाउन गैस” आपूर्ति हेतु कोयला गैसीकरण का उपयोग किया गया।
- **टाउन गैस से IGCC तक:** तकनीकी प्रगति के साथ ध्यान एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र (IGCC) पर केंद्रित हुआ।
 - IGCC गैसीकरण को गैस और स्टीम टर्बाइन द्वारा विद्युत उत्पादन के साथ जोड़ता है, जिससे दक्षता बढ़ती है।
 - भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 1985 में भारत के पहले IGCC संयंत्र में योगदान दिया।

राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन

- भारत ने 2021 में राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन शुरू किया ताकि ऊर्जा सुरक्षा बढ़े और आयात निर्भरता कम हो।
- इसका उद्देश्य आयातित प्राकृतिक गैस, मेथेनॉल और अमोनिया पर निर्भरता घटाना है।
- मिशन का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है।
- ₹85,000 करोड़ के निवेश स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध किए गए हैं।
- कोल इंडिया लिमिटेड और BHEL ने भारत कोल गैसीकरण एवं रसायन लिमिटेड का गठन किया है ताकि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके।

निष्कर्ष

- 1973 के तेल संकट और वर्तमान संकट में भू-राजनीतिक उत्पत्ति एवं मुद्रास्फीति प्रभाव की समानताएँ हैं, परंतु वर्तमान व्यवधान पैमाने में बड़ा तथा संरचनात्मक रूप से भिन्न है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था आज विविधीकृत ऊर्जा स्रोतों और रणनीतिक भंडारों के साथ बेहतर तैयार है, फिर भी विकासशील देशों में संवेदनशीलता बनी हुई है।
- दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अस्थिर क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना और सतत ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण को तीव्र करना आवश्यक है।

स्रोत: TH

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में अस्थायी राहत उपाय

संदर्भ

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक अस्थायी राहत उपाय प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में स्थित विनिर्माण इकाइयों को घरेलू शुल्क क्षेत्र (DTA) में रियायती सीमा शुल्क दरों पर वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई है।

वर्तमान नीतिगत परिवर्तन के पीछे तर्क

- **वैश्विक व्यापार व्यवधान:** SEZ इकाइयाँ निर्यात पर अत्यधिक निर्भर होती हैं; व्यवधान उनकी व्यवहार्यता को प्रभावित करते हैं।
 - अस्थायी राहत व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करती है।
- **समान अवसर का वातावरण:** रियायती शुल्क इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि DTA इकाइयों पर अनुचित लाभ न हो।
- **विनिर्माण को बढ़ावा:** इससे भंडार संचय कम होता है और क्षमता उपयोग में सुधार होता है।
- **व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता:** शुल्क राहत जैसे व्यापार सुविधा उपाय निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं।
- **निर्यात संवर्धन और घरेलू संरक्षण का संतुलन:** SEZ नीतियाँ निर्यात को बढ़ावा देती हैं, परंतु घरेलू उद्योगों को हानि से बचाना भी आवश्यक है।
- **संरचनात्मक बाधाओं का समाधान:** SEZ से DTA बिक्री पर उच्च शुल्क ने ऐतिहासिक रूप से घरेलू बाजार तक पहुँच को हतोत्साहित किया।
- **औद्योगिक विकास में भूमिका:** SEZs रोजगार, निर्यात और अवसंरचना विकास में योगदान करते हैं।

वर्तमान CBIC योजना में चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **दुरुपयोग का जोखिम:** कंपनियाँ निर्यात से ध्यान हटाकर घरेलू बिक्री पर केंद्रित हो सकती हैं।
- **DTA इकाइयों पर प्रभाव:** रियायती दरें भी प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
- **प्रशासनिक जटिलता:** मूल्य संवर्धन और बिक्री सीमा की निगरानी चुनौतीपूर्ण है।
- **अस्थायी प्रकृति:** यह SEZ नीति की दीर्घकालिक संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) के बारे में

- ये विशेष रूप से परिभाषित शुल्क-मुक्त क्षेत्र हैं, जिन्हें भारत में व्यापार संचालन और शुल्कों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
- इनकी स्थापना निर्यात, निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की जाती है।
- इनके उद्देश्य हैं: वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करना, रोजगार अवसर उत्पन्न करना, अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना, तथा व्यापार एवं सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

SEZs की प्रमुख विशेषताएँ

- **शुल्क-मुक्त क्षेत्र:** SEZs को व्यापार संचालन हेतु विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
- **आयात पर कोई सीमा शुल्क नहीं:** अधिकृत संचालन हेतु वस्तुओं/सेवाओं के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगता।
- **कर प्रोत्साहन:** सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर (प्रावधानों के अनुसार) से छूट।
- **एकल खिड़की स्वीकृति:** इकाइयों की स्थापना, आयात/निर्यात संचालन हेतु सरल स्वीकृति तंत्र।
- **व्यापार सुगमता:** स्व-प्रमाणीकरण, सरल अनुपालन प्रक्रियाएँ और नियामक भार में कमी।
- **अवसंरचना समर्थन:** विकसित औद्योगिक अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कें, बंदरगाह संपर्क, लॉजिस्टिक्स और गोदाम।

विधिक ढाँचा

- **SEZ अधिनियम, 2005:** SEZs की स्थापना, विकास और प्रबंधन हेतु विधिक ढाँचा प्रदान करता है।
- **SEZ नियम, 2006:** स्वीकृति, संचालन और निगरानी से संबंधित प्रक्रियाएँ एवं दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।

SEZ और घरेलू शुल्क क्षेत्र (DTA)

- **DTA:** भारत के अंदर SEZs के बाहर का क्षेत्र।
- DTA से SEZ को आपूर्ति को निर्यात माना जाता है, और SEZ से DTA को आपूर्ति को आयात माना जाता है (सीमा शुल्क के अधीन)।

स्रोत: DD News

संक्षिप्त समाचार

राजा रवि वर्मा

संदर्भ

- राजा रवि वर्मा की पेंटिंग *यशोदा और कृष्ण* ₹167.2 करोड़ में सफ़ोनआर्ट द्वारा आयोजित नीलामी में बेची गई, जो भारतीय कला के लिए एक रिकॉर्ड है।
 - यह पेंटिंग 1890 के दशक में बनाई गई थी, जब रवि वर्मा अपने कलात्मक करियर के शिखर पर थे।

राजा रवि वर्मा के बारे में

- **जन्म:** 1848, किलिमानूर (वर्तमान केरल)
- आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय विषयों में यूरोपीय यथार्थवाद को प्रस्तुत किया।
- त्रावणकोर शाही परिवार सहित कई राजवंशों के संरक्षण में कार्य किया।

प्रमुख योगदान एवं विरासत

- **दैवीय का मानवीकरण:** हिंदू देवी-देवताओं को यथार्थवादी मानवीय रूप में चित्रित करने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से एक।
- **कला का लोकतंत्रीकरण:** 1894 में बॉम्बे में *रवि वर्मा फाइन आर्ट्स लिथोग्राफिक प्रेस* की स्थापना की, जिसने बाद में मलावली (लोनावाला) में स्थानांतरित होकर लक्ष्मी और सरस्वती जैसे देवी-देवताओं के रंगीन चित्र प्रकाशित किए।
- **प्रसिद्ध कलाकृतियाँ:** *हंस दमयंती*, *शकुंतला*, *जटायु वधम्*, *लेडी इन द मूनलाइट* आदि।

स्रोत: TH

कर साथी

संदर्भ

- आयकर विभाग ने *कर साथी* नामक एआई-सक्षम डिजिटल चैटबॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो नए आयकर अधिनियम 2025 के ढाँचे के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर मामलों पर 24x7 मार्गदर्शन प्रदान करता है।

परिचय

- ITR दाखिल करने, कर प्रावधानों, प्रपत्रों, नोटिसों, कटौतियों, रिफंड और अनुपालन से संबंधित प्रश्नों पर निरंतर सहायता।
- प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी संसाधन (प्रपत्र, चालान, ई-भुगतान, ई-सत्यापन, FAQs) एक ही मंच पर उपलब्ध।
- करदाताओं की शिकायत निवारण और अनुपालन प्रश्नों का समाधान।

महत्व

- भारत की एआई-आधारित डिजिटल शासन व्यवस्था की व्यापक पहल का हिस्सा।
- आयकर अधिनियम 2025 में सुगम संक्रमण को सुनिश्चित करता है।

स्रोत: TH

E20 पेट्रोल

संदर्भ

- भारत ने 1 अप्रैल 2025 से सभी ईंधन स्टेशनों पर E20 पेट्रोल की अनिवार्य राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की है।

परिचय

- यह भारत के एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मूल लक्ष्य 2030 तक 20% मिश्रण का था, जिसे संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2022) के अंतर्गत 2025 तक अग्रिम कर दिया गया।
- इस आदेश को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है।
- एथेनॉल एक जैव ईंधन है, जो कृषि उपज जैसे गन्ना, मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और अधिशेष चावल से प्राप्त होता है। इसे किण्वन एवं आसवन प्रक्रिया से तैयार किया जाता है।
- E20 पेट्रोल का ऑक्टेन रेटिंग लगभग 95 RON है, जबकि सामान्य पेट्रोल का 91-92 RON होता है, जिससे इंजन का दहन अधिक सुचारु और एंटी-नॉक प्रदर्शन बेहतर होता है।

महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** कच्चे तेल आयात पर निर्भरता कम करता है। भारत अपनी तेल आवश्यकता का 85% से अधिक आयात करता है, जिससे वैश्विक मूल्य आगहटों और आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशील है।
- **कृषि संबंध:** एथेनॉल उत्पादन करने वाली फसलों की स्थायी मांग उत्पन्न करता है, जिससे गन्ना और मक्का किसानों को सीधा आय समर्थन मिलता है।
- **जलवायु प्रतिबद्धताएँ:** जैव ईंधन मिश्रण शुद्ध जीवनचक्र कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के NDC लक्ष्यों के अनुरूप है।

स्रोत: TH

भारत में पाइपड नेचुरल गैस (PNG) का विस्तार

संदर्भ

- भारत आयात निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा सुधारने और स्वच्छ ईंधन मिश्रण की ओर संक्रमण हेतु पाइपड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों के विस्तार को तीव्रता से आगे बढ़ा रहा है।

गैसों के प्रकार

- **तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG):**
 - **संरचना:** प्रोपेन और ब्यूटेन।
 - **अवस्था एवं भंडारण:** मध्यम दबाव में सिलेंडरों में तरल रूप में संग्रहीत।
 - **उपयोग:** घरेलू खाना पकाने, जल गर्म करने और छोटे औद्योगिक अनुप्रयोगों में।
 - **विशेषता:** वायु से भारी; रिसाव होने पर भूमि पर जमा होती है।
- **पाइपड नेचुरल गैस (PNG):**
 - **संरचना:** मुख्यतः मीथेन।
 - **अवस्था एवं भंडारण:** भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से गैस रूप में आपूर्ति।

- **उपयोग:** घरेलू रसोई, वाणिज्यिक खाना पकाने और उद्योगों में।
- **विशेषता:** सतत आपूर्ति; सिलेंडर भंडारण की आवश्यकता नहीं।
- **संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG):**
 - **संरचना:** मुख्यतः मीथेन।
 - **अवस्था एवं भंडारण:** उच्च दबाव (200–250 बार) में टैंकों में संपीड़ित।
 - **उपयोग:** वाहनों (कार, बस, ऑटो) और निम्न दबाव औद्योगिक बर्नरों में।
 - **विशेषता:** पेट्रोल/डीज़ल की तुलना में अधिक स्वच्छ दहन।
- **तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG):**
 - **संरचना:** मुख्यतः मीथेन।
 - **अवस्था एवं भंडारण:** लगभग -160°C पर ठंडा कर तरल रूप में परिवर्तित, लंबी दूरी तक समुद्री परिवहन हेतु।
 - **उपयोग:** प्राकृतिक गैस का लंबी दूरी तक परिवहन, विद्युत उत्पादन।
 - **विशेषता:** आयतन 600 गुना कम हो जाता है, जिससे थोक भंडारण आसान होता है।

भारत का PNG की ओर प्रवृत्ति

- **आयात निर्भरता में कमी:** भारत अपनी LPG आवश्यकता का लगभग 60% आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है और होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसी आपूर्ति मार्ग भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं।
 - इसके विपरीत, LNG कई वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त की जा सकती है, जिससे विविधीकरण बढ़ता है।
- **आर्थिक दक्षता:** PNG सिलेंडर परिवहन और भंडारण से जुड़ी लॉजिस्टिक लागत समाप्त करता है।
 - LPG की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर रह सकता है, क्योंकि LPG वैश्विक तेल कीमतों के प्रति संवेदनशील है।

- **पर्यावरणीय लाभ:** प्राकृतिक गैस LPG की तुलना में अधिक स्वच्छ दहन करती है, जिससे प्रदूषक और ग्रीनहाउस गैसों कम उत्पन्न होती हैं।

स्रोत: TH

भारत का बहु-आपदा प्रारंभिक चेतावनी निर्णय समर्थन प्रणाली (MHEW-DSS)


पाठ्यक्रम: GS3 / आपदा प्रबंधन

संदर्भ

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) को 2025 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार उसके स्वदेशी रूप से विकसित बहु-आपदा प्रारंभिक चेतावनी निर्णय समर्थन प्रणाली (MHEW-DSS) के लिए प्रदान किया गया।

MHEW-DSS क्या है?

- 2024 में लॉन्च किया गया, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो महत्वपूर्ण मौसम पूर्वानुमान प्रक्रियाओं में निर्णय-निर्माण को स्वचालित करता है और जनता, सरकार, गैर-सरकारी एजेंसियों तथा विशिष्ट हितधारकों को पूर्वानुमान एवं चेतावनी सेवाएँ प्रदान करता है।
- **मिशन मौसम** के अंतर्गत विकसित इस प्रणाली ने मौसम डेटा प्रसंस्करण का 90% स्वचालित कर दिया है और पूर्वानुमान की सटीकता में 30% सुधार किया है, साथ ही तैयारी समय को छह घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दिया है।
- यह उपग्रहों, राडारों, भू-आधारित और उच्च वायु सेंसरों से प्राप्त वास्तविक समय डेटा को एक केंद्रीकृत GIS-सक्षम प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है, जिससे पुरानी मैनुअल प्रक्रियाओं का स्थान लिया गया है।



क्या आप जानते हैं?

- IMD की स्थापना 1875 में हुई थी और उसने 2025 में अपनी 150वीं वर्षगांठ पूरी की।
 - ♦ IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- भारत उत्तरी हिंद महासागर के लिए क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC) है, जो चक्रवात ट्रैकिंग और नामकरण के लिए उत्तरदायी है।
- मिशन मौसम वह व्यापक ढाँचा है जिसके अंतर्गत MHEW-DSS विकसित किया गया।
- सेन्डाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015–2030 एक गैर-बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे 18 मार्च 2015 को जापान के सेन्डाई में आयोजित तीसरे UN विश्व सम्मेलन में अपनाया गया।
 - ♦ यह 15 वर्ष की अवधि (2015–2030) के लिए देशों को आपदा जोखिम कम करने, लचीलापन बनाने और विकास लाभों की रक्षा करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है।

स्रोत: TH

